न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं 85/2021 Gcms No. 2021/234
दायरा तिथि : 22.09.2021
आदेश दिनांकः 19-07-22

प्रार्थी :–
पूरणसिंह पुत्र मूलसिंहजी राणावत जाति राजपुत
निवासी मोरी गांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. उम्मेदसिंह पुत्र अर्जुनसिंहजी
2. किशोरसिंह पुत्र नरसिंहजी
3. गोविन्दसिंह पुत्र नरसिंहजी
4. धर्मी पुत्री नरसिंहजी
5. नीतुकंवर पुत्री करणसिंहजी
6. परबतसिंह पुत्र नरसिंहजी
7. फुलसिंह पुत्र नरसिंहजी
8. भंवरसिंह पुत्र नरसिंहजी
9. मुकेशसिंह पुत्र अर्जुनसिंहजी
10. रतनसिंह पुत्र नरसिंहजी
11. वर्षाकंवर पुत्री अर्जुनसिंहजी
12. श्यामाकुंवर पुत्री करणसिंजी
13. शान्ताकंवर पुत्री अर्जुनसिंहजी
14. स्वरूपसिंह पुत्र अर्जुनसिंहजी
15. सोहनकुंवर पुत्री अर्जुनसिंहजी
    जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बरावल तहसील बाली जिला पाली (राज0)
16. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 19-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बरावल पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की राजस्व नक्शे में तरमीम त्रुटिपुर्ण दर्ज होने से शुद्धि के जरिये नक्शे में तरमीम मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी के खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त भी 0.44 हैक्टर एवं 0.40 हैक्टर पर प्रार्थी का चला आ रहा है। परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे में भूमि कम दर्शित कर दी तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी के खातेदारी का कुछ भू0 भाग अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 15 के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 90/211 रकबा 0.50 हैक्टर में सम्मिलित करते हुये राजस्व नक्शे में दर्शित कर दिया। नक्शे में उक्त त्रुटिपुर्ण इन्द्राज होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 15 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि की माठ व धोरा में जबरदस्ती तोडफोड करने पर उतारू है। जिससे मौके पर विवाद न हो इसलिये राजस्व नक्शे में हुई त्रुटिपुर्ण तरमीम को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर व खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर की जमाबंदी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 90/211 रकबा 0.50 हैक्टर की जमाबंदी की प्रतियाँ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा साथ ही अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रेकर्ड के सबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच करते हुये पटवारी हल्का, दुदनी एवं भू0अ0 निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तुत मौका जांच के अनुसार निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि वर्तमान जमाबंदी व लट्ठा नक्शा में खाता संख्या 20 खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पूरणसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी मोरीगांव खातेदार दर्ज हैं एवं खाता संख्या 18 खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पुरणसिंह पुत्र मूलसिंह राणावत जाति राजपुत सा. मोरीगांव के खातेदार दर्ज है।
2. यह हैं कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा लट्ठा व ऑन लाईन नक्शा में खातेदारी अनुसार अंकित रकबा सही है। लेकिन नक्शा लट्ठा एवं ऑन लाईन नक्शा अनुसार उक्त खसरो की चारो भुजाओ का नाप अनुसार रकबा मिलान नहीं हो रहा है।

पेज लगातार........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं 85/2021 Gcms No. 2021/234
अनवान पूरणसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

3. यह हैं कि राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन नक्शा की भुजाओं का नाप करने से रकबा से मिलान नहीं हो रहा है तथा वादी द्वारा सीमांकन लट्ठा नक्शा व ऑन लाईन नक्शा से नाप करवाने पर धारित रकबा जमाबंदी अनुसार से रकबा कम आ रहा हैं। खसरा नंबर 90/1, 90, 90/2 का रकबा खसरा नंबर 90/212 में बेशी तरमीम हुआ हैं। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि धारित रकबा अनुसार तरमीम लट्ठा नक्शा में कम हुई है। जांच के दौरान् पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा ने इस हेतू मौका स्थिति के अनुसार एक समेकित विवरण पत्र भी पेश कियाः—

खसरा नंबर	रेकर्ड अनुसार क्षैत्रफल	आन लाईन नक्शा अनुसार क्षैत्रफल	शुद्धि व तरमीम योग्य रकबा
183/90	0.3967 हैक्टर	0.3300 हैक्टर	खसरा नंबर 90 मेंसे 0.0667 हैक्टर (+)
90	0.4400 हैक्टर	0.3770 हैक्टर	खसरा नंबर 90/2 मेंसे 0.0630+ 0.0667=0.1297 हैक्टर (+)
90/2	0.4400 हैक्टर	0.4636 हैक्टर	खसरा नंबर 90/212 मेंसे 0.1061 हैक्टर(+)
90/212	0.8500 हैक्टर	0.9900 हैक्टर	(–) 0.1061 हैक्टर
92	0.4700 हैक्टर	0.4488 हैक्टर	(+) 0.0212 हैक्टर
92/1	0.4000 हैक्टर	0.4257 हैक्टर	(–) 0.0212 हैक्टर
92/211	0.5000 हैक्टर	0.5270 हैक्टर	–

तहसीलदार,बाली ने अपने जांच प्रतिवेदन में उपरोक्तानुसार खसरा नंबर 90/212 की तरमीम बेशी होने से दुरस्ती के माध्यम से नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई।
प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 02, व 07 दिनांक 21.10.2021 को राजस्व केम्प दूदनी में उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 06 व 08 से 15 बावजुद नोटिस तामील के आदिनांक तक वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 व 07 दिनांक 21.10.2021 के पश्चात् की नियत पेशीयो पर आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्व उपरोक्तानुसार एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के खातेदारी में बरावल के खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर भी काबिज है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 से 15 के नाम में दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 90/211 का रकबा 0.55 हैक्टर दर्ज है, तथा मौके पर भी अप्रार्थीगण का इसी अनुसार कब्जा है। परन्तु राजस्व नक्शा में त्रुटिपुर्ण इन्द्राज होने से नक्शे में शुद्धि की मांग प्रार्थी द्वारा की गई है। जिस तथ्य को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा स्वीकार करते हुये नक्शे में शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई है।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार**— उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ—साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पेज लगातार..............03

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण स .86/2021 Gcms No. 2021/233

अनवान जालमसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी के रिकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी में बरावल के खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर भी काबिज है। परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में बरावल के खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज न होकर कम है, तथा प्रार्थी के खातेदारी के नक्शा ट्रेस में दर्शित कमी रकबा अप्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नंबर 90/211 में सम्मिलित है, जो रकबा अप्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा में राजस्व नक्शा में बेशी दर्ज है। जिस त्रुटिपुर्ण इन्द्राज दुरस्त किये जाने की अप्रार्थी भूमिधारी द्वारा अनुशंषा भी कर दी गई गई। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। माफिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम बरावल के खसरा नंबर 90 रकबा 0.44 हैक्टर एवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.40 हैक्टर के राजस्व नक्शा में पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा व समेकित विवरण पत्र के अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। निरीक्षक भू0अ0 बेडा व पटवारी हल्का, दूदनी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व समेकित विवरण पत्र को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा आदेशानुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करे। इस आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व सबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 19-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner